न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या–05, आगरा।
परिवाद संख्या–20805/2025
सी0एन0आर0नं0–यू0पी0ए0जी0–04–060167–2025
श्रीमती अश्विनी बंसल बनाम कन्हैया सिंह।
थाना–शाहगंज, जिला आगरा।
दिनांकः 17.01.2026

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई।

परिवादिया श्रीमती अश्विनी बंसल का कथन है कि विपक्षी कन्हैया सिंह ने धन अदायगी के सम्बन्ध में चेक संख्या–000013 दिनांकित 12.09.2025 मु0–5,20,000/–रूपये का परिवादिया को दिया, जो उसके द्वारा बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत करने पर अंतिम बार दिनांक 14.10.2025 को अनादरित हुआ, उसके उपरान्त परिवादिया द्वारा विपक्षी को नोटिस दिनांक 18.10.2025 को दिया। नोटिस के बावजूद धन अदा न करने पर परिवादिया द्वारा यह परिवाद न्यायालय में दाखिल किया गया है।

परिवादिया ने अपने कथनों का समर्थन स्वयं का शपथपत्र अंतर्गत धारा–223 बी0एन0एस0एस व धारा–225 बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत दाखिल मूल चेक, बैंक मीमो, नोटिस की प्रति व डाक रसीद आदि से किया है।

पत्रावली के सम्यक् परिशीलन से स्पष्ट है कि परिवादिया द्वारा अंदर म्याद विपक्षी को नोटिस दिया गया है तथा समयावधि के अंदर परिवाद न्यायालय में संस्थित किया गया है। अतः प्रथमदृष्टया विपक्षी कन्हैया सिंह को धारा–138 परकाम्य लिखत अधिनियम में विचारणार्थ तलब किए जाने के पर्याप्त आधार प्रतीत होते है।

आदेश

अभियुक्त कन्हैया सिंह को परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा–138 के अपराध के विचारण हेतु द्वारा समन दिनांक 06.03.2026 के लिए तलब किया जाये। परिवादिया वांछित पैरवी व सूची गवाहन अन्दर सप्ताह दाखिल करें।

ह0

(पंकज कुमार–प्रथम)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय संख्या–05, आगरा।